BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 19 मार्च 2023 **थाना स्याना**

थाना स्याना पुलिस द्वारा आनलाइन ठगी किये गये कुल 91,999/- रुपये अथक परिश्रम कर आवेदक को वापस करायें गये

दिनांक 07-12-2022 को आवेदक श्री सुशील कुमार पुत्र चेतराम निवासी ग्राम बैनीपुर थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना बीबी नगर पर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें फ्रॉड कॉल के द्वारा UPI के माध्यम से आवेदक के खाते से रुपये काटे जाने के आरोप अंकित किये गये थे इस संबंध में थाना बीबी नगर पर मुअसं- 278/22 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत है जिसकी विवेचना थाना स्याना पर नियुक्त निरीक्षक यंग बहादुर द्वारा की जा रही थी। प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना श्री सुभाष सिंह के निर्देशन में निरीक्षक यंग बहादुर व साइबर हैल्प डेस्क थाना स्याना पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर टिंकू पाल द्वारा अथक परिश्रम करते हुए आवेदक के 91,999/- रुपये वापस कराये गये। आवेदक द्वारा आज दिनांक 19-03-2023 को थाना स्याना में उपस्थित होकर थाना स्याना पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

सावधानः- किसी अनजान व्यक्ति से खाता संख्या, पिन, ओटीपी, सीवीवी नम्बर इत्यादि साझा न करें।
खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरन्त 1930 पर कॉल करें।

मीडिया सैल बुलन्दशहर